

लोक सभा सचिवालय 18वीं लोक सभा के सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है

...

18वीं लोकसभा के सदस्यों के निर्बाध पंजीकरण के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है

...

लोक सभा के महासचिव ने इस संबंध में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया

...

18वीं लोक सभा के सदस्यों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस और तकनीकी पर आधारित होगी

...

सदस्यों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध कराए गए हैं

...

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर गाइड पोस्ट स्थापित किए गए हैं

...

सदस्यों को वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी/हॉस्टल अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भवनों/अतिथि गृहों में अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

...

सदस्यों को अस्थायी आवास आवंटित करने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली तैयार की गई है

...

सदस्यों के लिए सीजीएचएस चिकित्सा पोस्ट चौबीस घंटे काम करेंगी

...

नई दिल्ली; 31 मई, 2024: लोक सभा सचिवालय अठारहवीं लोक सभा के सदस्यों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सदस्यों के स्वागत और उनके निर्बाध पंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लोक सभा के महासचिव, श्री उत्पल कुमार सिंह ने आज इस संबंध में की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। वह महासचिव हर दिन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।

निर्बाध और पेपरलेस पंजीकरण प्रक्रिया

कागजी कार्यवाही को कम करने और सदस्यों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से, नव-निर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। सदस्यों को विभिन्न शाखाओं में निर्धारित कागजात पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सदस्यों का काफी समय बचेगा। एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में न केवल माननीय सांसद के बायो प्रोफाइल डेटा

की प्रविष्टि की जाएगी, बल्कि इसमें प्रविष्ट की गई फेशियल और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर पहचान पत्र जारी करने के साथ ही लोक सभा सदस्यों और उनकी पत्नी/पति को सीजीएचएस कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था भी की गई है।

कई जगह पर जानकारी उपलब्ध कराने की जटिलता को दूर करते हुए इस बार सदस्यों की सुविधा और सुगमता के लिए पंजीकरण, नामांकन, अस्थायी आवास और कई अन्य मामलों से संबंधित सभी औपचारिकताओं को कम से कम समय में पूरा करने का प्रस्ताव है।

सचिवालय ने 04.06.2024 को दोपहर 2 बजे से पंजीकरण शुरू करने की व्यवस्था की है और यह प्रक्रिया 5 से 14 जून, 2024 को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी, जिसमें शनिवार और रविवार भी शामिल हैं। इससे पहले, नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण संसद के पुराने भवन (अब संविधान सदन) में होता था। इस बार, सचिवालय ने संसदीय सौध में यह व्यवस्था की है।

संसदीय सौध में बैंकवेट हॉल और प्राइवेट डाइनिंग रूम (पीडीआर) में 10-10 कंप्यूटरों के साथ कुल 20 डिजिटल पंजीकरण काउंटर स्थापित किए गए हैं। ये काउंटर एंड-टू-एंड पंजीकरण प्रक्रिया के लिए स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक काउंटर पर डबल साइडेड स्क्रीन वाला डेस्कटॉप, प्रिंटर कम स्कैनर, बायोमेट्रिक और हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए एक टैब लगा हुआ है। फोटो खींचने और फेशियल रिकोगनिशन के लिए अलग-अलग काउंटर हैं। इसके अतिरिक्त, नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए एसबीआई बैंक खाता खोलने, स्थायी पहचान पत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड जारी करने की व्यवस्था भी की गई है।

सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिवालय प्रत्येक सदस्य को भारत के संविधान, नियम, निर्देश तथा कुछ अन्य उपयोगी प्रकाशनों की प्रतियाँ उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, कुछ अन्य प्रकाशन सदस्यों को सॉफ्ट वर्जन में उपलब्ध कराए जाएंगे।

संसदीय सौध एक्सटेंशन के बैंकवेट हॉल में सांसदों के परिवार के सदस्यों तथा अतिथियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। अधिक संख्या में अतिथियों के आने की स्थिति में, उन्हें पास के समिति कक्ष में बैठाया जाएगा।

पंजीकरण काउंटर पर तैनाती के लिए कुल 70 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है जो शिफ्ट में काम करेंगे। निर्दिष्ट प्रतीक्षा क्षेत्र (ईपीएच भवन में बैंकवेट हॉल) में प्रतीक्षा कर रहे सांसदों की सुविधा के लिए संपर्क अधिकारियों (एलओ) को टैब के माध्यम से डेटा प्रविष्टि करने का प्रशिक्षण दिया गया है। यह व्यवस्था संसद परिसर में आए माननीय सांसदों का पंजीकरण कम से कम समय में करने के उद्देश्य से की गई है।

संसद भवन के शिलान्यास समारोह, संसद भवन के उद्घाटन, मल्टीमीडिया उपकरणों से संबंधित वीडियो, ईपीएच के बैंकवेट हॉल और समिति कक्ष 1 और 2 में चलाने के लिए तैयार रखे गए हैं।

परिणामों की घोषणा के दिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने और सफल उम्मीदवारों के संपर्क विवरण तुरंत दर्ज करने के लिए एक टीम गठित की गई है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग करने वाली टीम यह जांच सकेगी कि सफल उम्मीदवार नया सांसद है या फिर पुनःनिर्वाचित सांसद है। यह जानकारी सदस्यों के दिल्ली आगमन के कार्यक्रम की प्रविष्टि करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से संपर्क अधिकारियों (एलओ) के साथ साझा की जाएगी। अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध होगा। सदस्यों की सुविधा के लिए और शीघ्र जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्र/भाषा जानने वाले संपर्क अधिकारियों को तैनात करने का प्रयास किया गया है।

संपर्क अधिकारियों को सदस्यों, विशेष रूप से नवनिर्वाचित सदस्यों से शीघ्र संपर्क करने के लिए कहा गया है, ताकि वे उन्हें आवश्यक दस्तावेजों लाने के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सके। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि वे कुछ जानकारी या तो "computercentre@sansad.nic.in" पर ईमेल के माध्यम से या हार्ड कॉपी में लोक सभा को भेजें।

अस्थायी आवास

जिन नवनिर्वाचित सदस्यों के पास दिल्ली/नई दिल्ली में पहले से सरकारी आवास नहीं है, उन्हें वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी/हॉस्टल या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भवनों/अतिथि गृहों में तब तक अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा, जब तक कि उन्हें लोक सभा की हाउस कमेटी द्वारा नियमित आवास प्रदान नहीं किया जाता।

18वीं लोक सभा के सदस्यों को वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी/हॉस्टल या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भवनों/अतिथि गृहों में अस्थायी आवास के आवंटन के लिए इस बार सॉफ्टवेयर आधारित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू की गई है।

नवनिर्वाचित सदस्यों को अस्थायी आवास आवंटित करने/इसमें बदलाव करने के लिए संसद भवन परिसर में आवास डेस्क स्थापित किए गए हैं। आवास डेस्क की सेवाएं 24X7 उपलब्ध रहेंगी।

मार्गदर्शक पोस्ट

18वीं लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों के स्वागत के लिए और उन्हें आवश्यक सहायता/सेवाएं प्रदान करने के लिए आईजीआई हवाई अड्डे के तीनों टर्मिनलों और दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर (04.06.2024 से 09.06.2024 तक - संभावित) पर मार्गदर्शक पोस्ट स्थापित किए गए हैं।

हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों पर गाइडपोस्ट 04.06.2024 (शाम 06.00 बजे से रात 11.00 बजे तक) (एक शिफ्ट) और 05.06.2024 से 09.06.2024 (सुबह 05.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक और दोपहर 02.00 बजे से रात 11.00 बजे तक (दो शिफ्टों में) काम करेंगे। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर गाइडपोस्ट पर ड्यूटी करने के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

सदस्यों को संसद भवन परिसर/राज्य भवन/अतिथि गृहों तक ले जाने के लिए हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों पर परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

चिकित्सा व्यवस्था

सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीजीएचएस चिकित्सा पोस्ट नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में और टेलीग्राफ लेन में वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी/हॉस्टल के पास 24X7 आधार पर काम करेंगी। इसके अलावा, एम्बुलेंस सेवाएं भी 24X7 उपलब्ध रहेंगी। किसी भी चिकित्सा आपातस्थिति/अचानक बीमार होने की स्थिति में, सदस्यों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए नजदीकी अस्पतालों को भी सूचित कर दिया गया है।